

भाषा जिसमें सूचना नियम-पुस्तिका उपलब्ध है

आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(b) के तहत सूचना का स्वयं-प्रेरित प्रकटन अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है।